अनुदान संख्या 58 - उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 58–DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue**:				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	15429,00,00	15516,17,00	13963,56,84	–1552,60,16
पूरक	Supplementary	87,17,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1369,76,06
स्वीकृत-	Voted–				
पूरक	Supplementary	100,00,00	100,00,00	100,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (155260.16 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 8717.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.155260.16 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.8717.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	7625.00	7089.50	6008.64	–1080.86
पु.	R.	–535.50			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	872603.00				
पू.	S.	8711.00		847638.54	845183.87	–2454.67
पु.	R.	–33675.46				
मुख्य शीर्ष ''2203'' तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education					
मू.	O.	498873.00				
पू.	S.	3.00		510541.00	496199.13	–14341.87
पु.	R.	11665.00				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	98570.00				
पू.	S.	3.00		4238.23	4000.00	–238.23
पु.	R.	–94334.77				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	65217.00				
				45129.67	44965.00	–164.67
पु.	R.	-20087.33				

(I) 127328.00 लाख रु. का प्रावधान तिरपन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 126241.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.127328.00 lakhs remained wholly unutilised under fifty three heads; of these Rs.126241.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा'' -

(A) Major Head "2202"– "University and Higher Education" –

(क) ''गैर-सरकारी कालेज और संस्थानों को सहायता - डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज, दिल्ली'' - 255.00 लाख रु.; और

(a) "Assistance to Non-Government College and Institutes – Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi" – Rs.255.00 lakhs; and

(ख) "अन्य व्यय - श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान'' - 190.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्कीम को धनराशि उपलब्ध कराए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2203'' - "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना'' के अंतर्गत 5400.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552'' -

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता'' -

(i) "राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)'' - 900.00 लाख रु.;

(ii) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि'' - 45791.00 लाख रु.;

(ख) "भाषा विकास - निदेशन और प्रशासन - केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र'' - 230.00 लाख रु.;

(ग) "भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित करना - राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद'' - 190.00 लाख रु.;

(घ) "सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अनुसंधान - भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 250.00 लाख रु.;

(ङ) "सामान्य (सामान्य शिक्षा) - छात्रवृत्ति - कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति'' - 1100.00 लाख रु; और

(b) "Other Expenditure-National Institute of Studies in Sri Guru Granth Sahib" – Rs.190.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to funding of scheme by the University Grant Commission.

(B) Major Head "2203" – "Engineering, Technical Colleges and Institutes - Setting up of New Indian Institutes of Information Technology" – Rs.5400.00 lakhs – due to non-finalisation of scheme owing to non-receipt of approval from the competent authority.

(C) Major Head "2552" –

(a) "University and Higher Education – Assistance to Universities" –

(i) "Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" – Rs.900.00 lakhs;

(ii) "University Grants Commission, Central Universities etc." – Rs.45791.00 lakhs;

(b) "Language Development - Direction and Administration - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" – Rs.230.00 lakhs;

(c) "Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature - National Council for Promotion of Urdu Language" – Rs.190.00 lakhs;

(d) "General (General Education) – Research - Indian Council of Social Science Research" – Rs.250.00 lakhs;

(e) "General (General Education) – Scholarships - Scholarship for College and University Students" – Rs.1100.00 lakhs; and

(च) ''तकनीकी शिक्षा - प्रशिक्षण'' -

(i) ''प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका संबंधी कार्यक्रम'' - 375.00 लाख रु.।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान'' - 300.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(छ) ''तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक्स'' -

(i) ''गुणता सुधार कार्यक्रम को अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्निक्स'' - 1570.00 लाख रु.;

(ii) ''वर्तमान पालिटेक्निक्स का उन्नयन/नए पालिटेक्निक्स की स्थापना'' - 4950.00 लाख रु.;

(ज) ''तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान'' - 11450.00 लाख रु.;

(ii) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 2000.00 लाख रु.;

(iii) ''केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़'' - 1000.00 लाख रु.(1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) ''नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना'' - 3000.00 लाख रु;

(v) ''पालिटेक्निक्स में महिलाओं का छात्रावास'' - 1000.00 लाख रु.;

(f) "Technical Education- Training" –

(i) "Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends" – Rs.375.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "National Institute of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)" – Rs.300.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from NER States.

(g) "Technical Education- Polytechnics" –

(i) "Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics" – Rs.1570.00 lakhs;

(ii) "Upgradation of Existing/Setting up of New Polytechnics" – Rs.4950.00 lakhs;

(h) "Technical Education- Engineering, Technical Colleges and Institutes" –

(i) "Indian Institutes of Technology" – Rs.11450.00 lakhs;

(ii) "Indian Institutes of Management" – Rs.2000.00 lakhs;

(iii) "Central Institute of Technology (CIT) Kokrajhar" – Rs.1000.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(iv) "Setting up of New National Institutes of Technology" – Rs.3000.00 lakhs;

(v) "Women's Hostel in Polytechnics"– Rs.1000.00 lakhs;

(vi) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' - 2000.00 लाख रु.; और

(vii) ''राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 8700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(viii) ''नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना'' - 600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(झ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अन्य व्यय - आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'' - 9000.00 लाख रु.; और

(ञ) ''तकनीकी शिक्षा - पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर'' - 699.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ट) ''भाषा विकास - केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र'' - 150.00 लाख रु. रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा, यात्रा भत्ता बिल कम संख्या में प्राप्त होने के कारण थे।

(घ) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्ति - हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को

(vi) "All India Council of Technical Education (AICTE)" – Rs.2000.00 lakhs; and

(vii) "National Institutes of Technology (NIT)" – Rs.8700.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(viii) "Setting up of New Indian Institutes of Information Technology" – Rs.600.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from NER States.

(i) "General (General Education) – Other Expenditure - National Mission in Education through ICT" – Rs.9000.00 lakhs; and

(j) "Technical Education – Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" – Rs.699.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(k) "Language Development - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasa Sansthan) and Regional Language Centres" – Rs.150.00 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and receipt of less number of Medical, TA bills.

(D) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants" –

(a) "Secondary Education - Scholarships - Scholarship to Students from Non-Hindi

छात्रवृत्ति'' - 140.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा - अन्य अनुदान - विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार'' - 25001.00 लाख रु. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - उच्च शिक्षा विभाग'' के अंतर्गत 1616.36 लाख रु. की बचत (7625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव, चिकित्सा बिल कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''भाषा विकास'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - अन्य स्कीमें'' - 133.08 लाख रु. की बचत (915.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''अन्य व्यय - केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र'' - 485.28 लाख रु. की बचत (1392.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(ग) ''आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - केन्द्रीय तमिल शास्त्रीय संस्थान, चेन्नई'' - 641.07 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

Speaking States for Post Matric Studies in Hindi" – Rs.140.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from State Governments.

(b) "University and Higher Education - Other Grants - Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers" – Rs.25001.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals received from State Governments towards implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat - Department of Higher Education" – saving of Rs.1616.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7625.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals, medical bills and economy measures.

(III) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Language Development" –

(a) "Direction and Administration - Other Schemes" – saving of Rs.133.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.915.00 lakhs); and

(b) "Other expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" – saving of Rs.485.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1392.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(c) "Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Central Institutes of Classical Tamil (CICT), Chennai" – saving of Rs.641.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs); and

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''अनुसंधान - बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान और लोक अग्रसरण संबंधी स्कीम'' - 170.44 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ख) ''छात्रवृत्ति - कालेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति - 4015.11 लाख रु. की बचत (9900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्तियां देने संबंधी प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'' - 53912.08 लाख रु. की बचत (81000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां केवल प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए जारी किए जाने की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2203'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान'' - 554.00 लाख रु. की बचत (7552.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''पालिटेक्निक्स'' -

(क) ''गुणता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्निक्स'' - 9315.75 लाख रु. की बचत (14130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों और विद्यमान पालिटेक्निक्स से प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "General" –

(a) "Research - Scheme for Intellectual Property Education, Research and Public Outreach" – saving of Rs.170.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of viable proposals.

(b) "Scholarships – Scholarship for college and University Students" – saving of Rs.4015.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9900.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals for providing Scholarships to college and university students from State/UT Governments.

(c) "Other Expenditure – National Mission in Education through ICT" – saving of Rs.53912.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.81000.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme owing to release of funds only for pilot projects.

(IV) Under Major Head "2203" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)" – saving of Rs.554.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7552.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the Institutes.

(B) "Polytechnics" –

(a) "Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics" – saving of Rs.9315.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14130.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from the State Governments and existing polytechnics.

(ख) "विद्यमान पालिटेक्निक्स का उन्नयन/नए पालिटेक्निक्स की स्थापना'' - 2870.00 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों को दी जाने वाली अनुदान की राशि में कटौती किए जाने और राज्य सरकारों और विद्यमान/नए पालिटेक्निक्स से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "पालिटेक्निक्स में महिलाओं का छात्रावास'' - 4820.00 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों को दी जाने वाली अनुदान की राशि में कटौती किए जाने और पालिटेक्निक्स में महिलाओं के छात्रावास के लिए राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "इंजीनियरी तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(क) "राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई'' - 1350.00 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से अनुरूप अनुदान प्राप्त न होने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची'' - 157.15 लाख रु. की बचत (0.15 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1857.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी विज्ञान डिजीटल पुस्तकालय एवं प्रौद्योगिकी संघ'' - 250.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(b) "Upgradation of existing/setting up of new polytechnics" – saving of Rs.2870.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to reduction in amount of grant to the beneficiary and receipt of less number of proposals from the State Governments and existing/new polytechnics.

(c) "Women's Hostel in Polytechnics" – saving of Rs.4820.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to reduction in amount of grant to the beneficiary and receipt of less number of proposals from the State Governments for women hostel in polytechnics.

(C) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" –

(a) "National Institute of Industrial Engineering, Mumbai" – saving of Rs.1350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to non-release of grant owing to non-receipt of matching grant by the Institute.

(b) "National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi" – saving of Rs.157.15 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1857.15 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.15 lakh); and

(c) "Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology (INDEST) Consortium" – saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(घ) ''संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 1297.15 लाख रु. की बचत (0.15 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3397.15 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष और आंतरिक संसाधन अनुदान उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) ''योजना एवं वास्तुशिल्प के नए विद्यालयों की स्थापना'' - 500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय, विजयवाड़ा के लिए आंधप्रदेश सरकार द्वारा भूमि आबंटित न किए जाने के कारण हुई।

(च) ''नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना'' - 1600.01 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों में शिक्षा सत्र का आरम्भ न होने के कारण हुई।

(छ) ''नए राष्ट्रीय प्रौद्यौगिक संस्थान की स्थापना'' - 520.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए संस्थानों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ज) ''नए भारतीय प्रौद्यौगिक संस्थान की स्थापना'' - 15150.00 लाख रु. की बचत (40000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित आठ में से पांच मामलों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए स्थायी परिसर के लिए भूमि का स्थानांतरण संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 304.13 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक थीं।

(d) "Sant Longowal Institute of Engineering and Technology" – saving of Rs.1297.15 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3397.15 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.15 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and Internal Resource grant.

(e) "Setting up of New Schools of Planning and Architecture" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-allotment of land by Andhra Pradesh Government for School of Planning and Architecture, Vijaywada.

(f) "Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs)" – saving of Rs.1600.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non commencement of academic session in new Indian Institutes of Management.

(g) "Setting up of New National Institute of Technology(NITs)" – saving of Rs.520.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals for New Institutes.

(h) "Setting up of New Indian Institute of Technology" – saving of Rs.15150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for transfer of land for permanent campus to IITs in five cases out of proposed eight.

(V) Under four heads savings of Rs.304.13 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 88 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (64280.19 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 8717.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा" -

(i) "विश्वविद्यालयों को सहायता" -

(1) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय" - 20098.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 20097.20 लाख रु. था।

(2) "राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय" - 336.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 335.95 लाख रु. था।

(ii) अन्य व्यय" -

(1) "राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थाओं को पुस्तक संवर्धन के लिए अनुदान" - 906.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 905.45 लाख रु. था।

(2) "राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापकों को वित्तीय सहायता" - 63.52 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 63.82 लाख रु. था।

(ख) "भाषा विकास" -

(i) "आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - अन्य स्कीमें" - 143.00 लाख रु.। तथापि,वास्तविक अधिक व्यय 142.95 लाख रु. था।

(ii) "संस्कृत शिक्षा - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान" - 1878.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1876.95 लाख रु. था।

2(I). The above savings were partly (Rs.64280.19 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.8717.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "University and Higher Education" –

(i) "Assistance to Universities" –

(1) "University Grant Commission, Central Universities" – Rs.20098.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.20097.20 lakhs.

(2) "National University of Education Planning and Administration" – Rs.336.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.335.95 lakhs.

(ii) "Other expenditure" –

(1) "Grants to National Book Trust/ Institutions for Book Promotion" – Rs.906.00 lakhs, Actual excess, however, was Rs.905.45 lakhs.

(2) "Financial Assistance to National Research Professors" – Rs.63.52 lakhs. Actual excess, however, was Rs.63.82 lakhs.

(b) "Language Development" –

(i) "Promotion of Modern Indian Languages and Literature-Other Schemes" – Rs.143.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.142.95 lakhs.

(ii) "Sanskrit Education - Rastriya Sanskrit Sansthan" – Rs.1878.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1876.95 lakhs.

(ग) ''सामान्य - अनुसंधान'' -

(i) ''भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 206.42 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 206.32 लाख रु. था।

(ii) ''भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद'' - 63.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 62.90 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(क) ''प्रशिक्षण - शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां और वृत्तिका संबंधी कार्यक्रम'' - 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.75 लाख रु. था।

(ख) ''तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 3628.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3627.30 लाख रु.था।

(ग) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान''-

(i) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 17264.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 17265.30 लाख रु. था।

(ii) ''योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय'' - 696.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 695.85 लाख रु. था।

(iii) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर'' - 1500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1499.75 लाख रु. था।

(iv) ''केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़'' - 2399.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2398.00 लाख रु. था।

(c) "General - Research" –

(i) "Indian Council of Social Science Research" – Rs.206.42 lakhs. Actual excess, however, was Rs.206.32 lakhs.

(ii) "Indian Council of Philosophical Research" – Rs.63.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.62.90 lakhs.

(B) Major Head "2203" –

(a) "Training- Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends" – Rs.500.00 lakhs, Actual excess, however, was Rs.499.75 lakhs.

(b) "Assistance to Universities for Technical Education – Grants to Indian Institute of Science, Bangalore" – Rs.3628.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3627.30 lakhs.

(c) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" –

(i) "Indian Institutes of Technology" – Rs.17264.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.17265.30 lakhs.

(ii) "School of Planning and Architecture" – Rs 696.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.695.85 lakhs.

(iii) "Indian Institute of Information Technology at Jabalpur" – Rs.1500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1499.75 lakhs.

(iv) "Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar" – Rs.2399.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2398.00 lakhs.

(v) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 13200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 13199.75 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552'' - "पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर'' - 1399.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1397.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202'' -

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)'' - 375.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद'' - 190.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1710.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "2203'' - "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(क) "भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 445.97 लाख रु. का अधिक व्यय (12071.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' - 1900.00 लाख रु. का अधिक व्यय (18100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(v) "National Institutes of Technology (NITs)" – Rs.13200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.13199.75 lakhs.

(C) Major Head –"2552" – "Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" – Rs.1399.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1397.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "University and Higher Education – Assistance to Universities – Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" – excess of Rs.375.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8200.00 lakhs);

(b) "Language Development – Promotion of Modern Indian Languages and Literature – National Council for Promotion of Urdu Language" – excess of Rs.190.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1710.00 lakhs);

(B) Major Head "2203" – "Engineering, Technical Colleges and Institutes" –

(a) "Indian Institutes of Management" – excess of Rs.445.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12071.00 lakhs); and

(b) "All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E)" – excess of Rs.1900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18100.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक्स'' - 4900.00 लाख रु. का अधिक व्यय (40000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पालिटेक्निक्स की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को दूसरी किस्त जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Technical Education - Polytechnics" – excess of Rs.4900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for release of 2nd installment to State Governments for establishment of New Polytechnics and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.